भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *26

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

नागरिकों की डिजीटल सुरक्षा

***26. श्री प्रद्युत बोरदोलोई** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में डिजीटल सेवाओं के प्रयोक्ताओं को कन्टेन्ट रिपोर्टिंग से संबंधित उपलब्ध कराया गया मौजूदा तंत्र क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की डिजीटल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा नागरिकों की डिजीटल सुरक्षा को बाधित करने वाले कंटेन्ट को हटाये जाने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विगत तीन वर्षों के दौरान दिए गए आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देशभर में 'साइबर स्टॉकिंग' धमकी और उत्पीड़न से संबंधित न्याय-निर्णयाधीन मामलों के आंकड़े रख रही है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ड.) क्या सरकार ने उपरोक्त मुद्दों के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कोई विचार-विमर्श किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष रहें ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

नागरिकों को डिजीटल सुरक्षा के संबंध में दिनांक 3.2.2021 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *26 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) से **(ख)** : गृह मंत्रालय (एमएचए) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से नागरिकों को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, www.cybercrime.gov.in संचालित करता है। जैसा कि, "पुलिस" और "सार्वजनिक आदेश" राज्य के विषय हैं, इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी गैरकानूनी सामग्री की सूचना पुलिस स्टेशन को दी जा सकती है।

एमएचए ने वेबसाइटों, सोशल मीडिया आदि पर गैरकानूनी सामग्री जिसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामग्री भी शामिल है, को रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 'साइबर स्वयंसेवकों' के रूप में नागरिकों के पंजीकरण के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अपनी नीति के किसी भी अपमानजनक, हानिकारक या गैरकानूनी सामग्री उल्लंघन के उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्टिंग में सुविधा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ काम करता है।

सरकार लोगों की डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं:

(i) व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए की डिजिटल सुरक्षा से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 में महिलाओं से संबंधित प्रचलित साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 66ड., 67, और 67क में शारीरिक रूप से गोपनीयता और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 67 ख विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के प्रकाशन, ब्राउजिंग या प्रसारण के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग और 354घ साइबर धमकी और साइबर स्टाकिंग के लिए दंड का प्रावधान करती है।

(ii) आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 में यह आवश्यक है कि माध्यास्थों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक तत्पड़ता का पालन करना चाहिए और किसी व्यक्ति द्वारा माध्यस्थों का कंप्यूटर संसाधन तक पंहुच या उपयोग के लिए नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता करार को प्रकाशित करना होगा ; अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसे किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अपडेट या साझा नहीं करने के लिए सूचित करें जो घोर हानिकारक, परेशान करने वाली, अश्लील और दूसरे की गोपनीयता का आक्रामक या अन्याथा किसी भी तरीके से जो भी हो गैरकानूनी हो। मध्यस्थ उपयोगकर्ताओं और प्रभावित व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत अधिकारी का नाम और उनका संपर्क विवरण अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। मध्यस्थों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) से संबंधित किसी भी गैरकानूनी सामग्री को हटा दें, जब या तो अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार द्वारा नोटिस के माध्यम से या उसकी एजेंसी या आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 क के तहत निर्देशित किया जाए, के माध्यम से उनके ज्ञान में लाया जाए।

(iii) सरकार समय-समय पर भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से प्राप्त इंटरपोल की "सबसे खराब सूची" पर आधारित अत्यंत बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करती है।

(iv) सरकार ने इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (आईडब्ल्यूएफ), डायनामिक आधार पर सीएसएएम वेबसाइटों/वेबपेजों की यूके सूची प्राप्त करने और चाइल्ड पॉमोग्राफी पेपर्स/वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था तैयार करने के लिए संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपीएस) को निर्देश जारी किए हैं।

(v) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने साइबर अपराध से संबंधित कानूनों को सरल भाषा में बेहतर तरीके से समझने के लिए जांच अधिकारियों के लिए एक गाइड के रूप में "चाइल्ड विक्टिम ऑफ़ साइबर क्राइम – लीगल टूल किट" पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

(vi) एमईआईटीवाई सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) नामक कार्यक्रम, के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते समय नैतिकता का पालन करने के महत्व को उजागर करना और उन्हें अफवाहें/नकली समाचार साझा न करने की सलाह पर जोर देना है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट (https://www.infosecawareness.in) प्रासंगिक सामग्री प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के तहत, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सूचना सुरक्षा पर 21 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिसमें 2,083 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इन

कार्यशालाओं में शामिल विषयों / सामग्री में साइबर सुरक्षा, साइबर स्टाकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और गोपनीयता, पासवर्ड प्रबंधन, इंटरनेट सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा, ब्राउज़र सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग आदि शामिल हैं। इसके अलावा, 'महिलाओं के लिए सूचना सुरक्षा जागरूकता पुस्तिका', 'महिलाओं के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां' और 'कोविड 19 के दौरान ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स फॉर वोमेन@होम' नमक एक विशेष हैंडबुक की डिजाइन भी शामिल है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन/विकसित की गई जागरूकता सामग्री को वेबसाइट https://www.infosecawareness.in/women पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराई गई है।

(vii) 20.03.2020 को एमईआईटीवाई ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटोक और हेलो जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें माध्यास्थों से निम्न के लिए आग्रह किया जाता है:

- उपयोगकर्ताओं को कोरोना वायरस से सम्बंधित किसी झूठी खबर/गलत सूचना जो जनता में दहशत पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति को बिगाड़ने की संभावना रखते हैं को अपलोड/प्रसारित नहीं करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर जागरूकता अभियान शुरू करें;
- प्राथमिकता के आधार पर अपने प्लेटफार्मों पर होस्ट की गई ऐसी सामग्री को अक्षम/हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें;
- जहां तक संभव हो कोरोना वायरस से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देना।

(ग) : आईटी अधिनियम की धारा 69क भारत की संप्रभूता और अखंडता के हित में, भारत की सुरक्षा, राज्य की संरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध या सार्वजनिक आदेश या ऊपर से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसाने को रोकने के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन में सृजित, प्रसारित, प्राप्त, भंडारित या होस्ट किये गए किसी भी जानकारी को ब्लॉक करने के लिए सरकार को अधिकृत करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान ब्लॉक किये गए वेबसाइटों/वेबपेजों/एकाउंट की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	ब्लॉक किये गए वेबसाइटों/वेबपेजों/एकाउंट की संख्या
2018	2799
2019	3635
2020	9849

सार्वजनिक पहुंच शक्ति के लिए जानकारी को ब्लॉक करना केंद्रीय सरकार के पास निहित है और इस प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए डेटा लागू नहीं होता है।

(घ) : एमईआईटीवाई साइबर स्टैकिंग, धमकाने और उत्पीड़न पर न्यायाधीन मामलों के डेटा को बनाए नहीं रखता है।

(ड.) : एमईआईटीवाई इंटरनेट पर फर्जी खबरों के प्रसार, गलत सूचना/गलत जानकारी से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ बातचीत करता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने अपने मंच का उपयोग करके प्रचारित फर्जी खबरों से सम्बंधित मुद्दों का सामाधान करने के लिए कई कदम उठाएं है।

*****